



राजस्थान विश्वविद्यालय University of Rajasthan

Phone: +91-141-2711070; EPBX.: 612
Email: drteachinguniraj@gmail.com

Date: 20.1.25

No. Estt.-I/2025/ 591

परिपत्र

सिण्डीकेट के विनिश्चय सं. 13 दिनांक 05.10.2017 एवं राज्य सरकार के पत्रांक: प. 13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2021/02463 दिनांक 30.12.2024 के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों, जिन्की ग्रेड पे 4200 या अधिक है, को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा स्वयं के स्तर पर ऑन-लाईन पूर्ति करें।

वर्ष 2018 से टंकित/हस्तलिखित अचल संपत्ति विवरण स्वीकार योग्य नहीं है।

जो शिक्षक/अधिकारी अपना अचल संपत्ति विवरण की सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक स्तर पर उनको विजीलेंस क्लियरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा।

(राजकुमार कस्वा)
कुलसचिव

क्रमांक: संस्था-1/विधि-11/2025/ 592-648

दिनांक 20.1.25

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजभवन, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. मानद निदेशक, पी.जी. स्कूलस/केन्द्रीय पुस्तकालय/प्रबन्धन/गाँधीयन स्टडीज/जैन स्टडीज, आदि, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. मुख्य आवासाधिकारी(पुरुष/महिला), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, रा. वि. वि., जयपुर।
12. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. जनसंपर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

(राजकुमार जैन)
20/1/25

उप-कुलसचिव (संस्थापन-I)



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

प.13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2021/02463

जयपुर, दिनांक:

परिपत्र :-

विषय:-समस्त राजसेवकों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज पोर्टल पर IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन भरने के सम्बन्ध में।

समस्त राजसेवकों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है, जिसके बिन्दु निम्न प्रकार है:-

1. प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा वर्ष 2024 (01 जनवरी 2025 की स्थिति में) का अचल सम्पत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है। 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE बंद होने पर अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा जा सकेगा।
2. इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 29.06.2021 के तहत राजसेवक द्वारा अपने अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑनलाईन नहीं भरने पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेंस क्लियरेंस नहीं दी जावेगी व वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जावेगा एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में इस विभाग के परिपत्र दिनांक 19.01.23 अनुसार कार्यवाही की जावेगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं व उपक्रमों पर भी लागू है।
3. समस्त राजसेवकों को SSO-ID से राजकाज पोर्टल पर Online IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से 0141-292(2281) (1149)(1856)एव (1304) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

Signature valid

Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary to Government
Date: 2024.12.30 22:43:53 IST
Reason: Approved





अतः समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार ब्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राजसेवकों तथा बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं व उपक्रमों में कार्यरत राजसेवकों को अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन समय सीमा में भरवाये जाने हेतु निर्देशित करें।

(डॉ. कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मा. उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर।

Signature valid

Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary to Government
Date: 2024.12.30 22:43:53 IST
Reason: Approved

Immovable Property Return Flow



नोट:- राजकाज सम्बंधित तकनीकी सहायता के लिए राजकाज हैल्पडेस्क पर सम्पर्क करें-
राजकाज हैल्पडेस्क न. - 0141-29-22281, 21149